अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

घीसाराम बनाम **मुंशी आदि**

दावा बाबत बंटवारा

दावा मुकदमा नं. 205/2016 **निर्णय दिनांक– 08.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर जाकर खसरा सं. 335/2 जिसके नये खसरा सं. 462 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा सं. 335/1 जिसके नये खसरा सं. 463 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. कमला पत्नि बंधीधर जाति जाट सा.देह राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	463/4	0.09 हैक्टेयर	बा.1	0.63
2. घासीराम पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट सा.देह राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	463/3	0.87 हैक्टेयर	बा.1 0.80 बा.2 0.07	5.60 0.42
3. मुंशी मुमताज अजीज खां पि. न्यामदार खां जाति पठान सा.देह	463/1	0.48 हैक्टेयर	बा.2	2.88
4. कमला पत्नि बंधीधर हि. 1/3 घासीराम पुत्र मुकन्दाराम हि. 1/3 राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मुंशी मुमताज अजीज खां पि. न्यामदार खां जाति पठान हि. 1/3 सा.देह	463/2	0.03 हैक्टेयर	बा.2	0.18
5. कमलादेवी पत्नि बंधीधर जाति जाट रकबा 1.02 राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ लाल खां पुत्र कालू खां पठान रकबा 0.08 सा.देह	462	1.10 हैक्टेयर	बा.2 0.66 बा.1 0.44	3.96 3.08

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

सत्यमेव जयते
Webcopy - Not Official

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– लालासी

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– लालासी

08.05.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प लालासी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में उल्लेखित किया है कि प्रकरण दावा में मूल खसरा सं. 335 का विभाजन से 335/1 व 335/2 दो खसरा नम्बर दर्ज हुए। ग्राम लालासी का नया रिकार्ड लागु होने के कारण खसरा सं. 335/1 का नया खसरा सं. 462 हो गया व खसरा सं. 335/2 का नया खसरा सं. 463 हो गया। परन्तु मौके पर खसरा सं. 335/1 का नया खसरा सं. 462 का मौका नक्शा मिलान नहीं हो रहा है। नये खसरा सं. 464 में पुराने खसरा सं. 336 का हिस्सा आंशिक मिला दिया गया है एवं पुराना खसरा सं. 335/1 के नये खसरा सं. 463 में शामिल कर दिया गया है। पुरानी एवं नयी जमाबंदी के खातेदारों का भी मिलान नहीं हो रहा है। खसरा सं. 335/1 व नये खसरा सं. 462 खातेदारों का भी मिलान नहीं हो रहा है। क्योंकि खसरा सं. 335/1 का नया खसरा सं. 463 व खसरा सं. 335/2 का 462 होने पर ही खातेदारों का मिलान हो सकेगा एवं नक्शें में भी खसरा सं. बदलने होंगे। सारतः मुताबिक उक्तानुसार रिपोर्ट के खसरा सं. 335/1 का खसरा सं. नया 463 एवं खसरा सं. 335/2 का नया खसरा सं. 462 दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्तानुसार मुताबिक तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त वर्णित खसरान का नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाकर ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार नये खसरा सं. के तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रकबे में भी परिवर्तन होंगें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में भी उक्त खसरा सं. 335/1 का नया खसरा सं. 463 व खसरा सं. 335/2 का नया खसरा सं. 462 को समाहित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के मुताबिक खसरा सं. पुराना 335/1 का 463 व खसरा सं. पुराना 335/2 का नया खसरा सं. 462 किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याया/2018/47 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 335/2 जिसके नये खसरा सं. 462 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा सं. 335/1 जिसके नये खसरा सं. 463 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. कमला पत्नि बंधीधर जाति जाट सा.देह राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	463/4	0.09 हैक्टेयर
2. घासीराम पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट सा.देह राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	463/3	0.87 हैक्टेयर
3. मुंशी मुमताज अजीज खां पि. न्यामदार खां जाति पठान सा.देह	463/1	0.48 हैक्टेयर
4. कमला पत्नि बंधीधर हि. 1/3 घासीराम पुत्र मुकन्दाराम हि. 1/3 राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ मुंशी मुमताज अजीज खां पि. न्यामदार खां जाति पठान हि. 1/3 सा. देह	463/2	0.03 हैक्टेयर
5. कमलादेवी पत्नि बंधीधर जाति जाट रकबा 1.02 राहिन ओ.बी.सी. शाखा लक्ष्मणगढ़ लाल खां पुत्र कालू खां पठान रकबा 0.08 सा.देह	462	1.10 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्तानुसार मुताबिक तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त वर्णित खसरान का नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाकर ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)